निर्णय बइजलास श्री के. आर. चोहान सहायक कलेक्टर (S.D.O.) देवगढ

प्रकरण संख्या 219/17 प्रा.पत्र निर्णय दिनाक 7.2.2019

अनवान

सुरेश प्रकाश पिता मोडीराम जी महाजन, उम्र 52 वर्ष, निवासी निचला बाजार, भीम, जिला राजसमन्द

—— प्रार्थी

बनाम

श्री जगदीश पिता श्री लक्ष्मणलाल जी राव, उम्र 38 वर्ष, निवासी चेता आसन, पंचायत विजयपुरा, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द

—— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री नरेश जोशी वकिल प्रार्थी

ग्राम चेता आसन मे प्रार्थी की खातेदारी भुमि स्थित है। जिसके खसरा स0 81, किता 1, रकबा 3.05 बिघा है। प्रार्थी को अपनी भुमि पर आने जाने का रास्ता कई वर्षो से ज्यादा समय से एवं उससे पुर्व से जो स्थाई रास्ता है, वह विपक्षी श्री जगदिश पिता लक्ष्मणलाल जी राव के खातेदारी की भुमि खसरा स0 1/26, रकबा 2 बिघा मे से जाता है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का कोई अन्य रास्ता नही है। यह रास्ता 30 फिट चोडा होकर ट्रेक्टर ट्रोली खेत पर आती जाती है तथा कृषि की फसल, घास, अनाज आदि ट्रेक्टर ट्रोली एवं उससे पहले बैल गाडी से लाते रहे है। प्रार्थी का यही स्थाई रास्ता है। प्रार्थी की उक्त वर्णित स्वयं की खातेदारी की कृषि भुमि आराजी न0 81 मे आवागमन हेतु वाछिंत रास्ता पुर्णतः आवश्यक है तथा अन्य कोई रास्ता नही है, न ही वैकल्पिक रास्ता है। इस रास्ते के बिना अपनी कृषि भुमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। रास्ता प्रार्थी का स्वैधानिक अधिकार होकर हर व्यक्ति को उसकी सम्पति तक जाने हेतु उपलब्ध होना आवश्यक है। अन्यथा सम्पति के उपयोग से व्यक्ति वंचित हो जाता है। प्रार्थी के खेतो मे खेती करना बन्द हो गया है। विपक्षी को कहने पर मरने मारने पर आमादा है। विपक्षी ने प्रार्थी के खेतो मे आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी ने रास्ता चाहने हेतु धारा 251 ए आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते मे जाने वाली भुमि की राशि अदा करने को तैयार है। अतः

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षी को जारी सम्मन बाद तामील शामिल फाईल किये गये। बाद सुचना विपक्षी अनुपस्थित रहने पर दिनाक 14.3.2018 को विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् तहसीलदार देवगढ की प्रस्तावित रास्ता, ट्रेस एवं रास्ते मे जाने वाली भुमि का विवरण तथा डी.एल.सी. की दर प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया, जिस पर तहसीलदार देवगढ व पटवार हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की नकल, मय जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकिल प्रार्थी ने बहस मे तर्क दिया कि ग्राम चेता आसन मे प्रार्थी की खातेदारी भुमि स्थित है। जिसके खसरा स0 81, किता 1, रकबा 3.05 बिघा है। प्रार्थी को अपनी भुमि पर आने जाने का रास्ता कई वर्षो से ज्यादा समय से एवं उससे पुर्व से जो स्थाई रास्ता है, वह विपक्षी श्री जगदिश पिता लक्ष्मणलाल जी राव के खातेदारी की भुमि खसरा स0 1/26, रकबा 2 बिघा मे से जाता है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का कोई अन्य रास्ता नही है। यह रास्ता 30 फिट चोडा होकर ट्रेक्टर ट्रोली खेत पर आती जाती है तथा कृषि की फसल, घास, अनाज आदि ट्रेक्टर ट्रोली एवं उससे पहले बैल गाडी से लाते रहे है। प्रार्थी का यही स्थाई रास्ता है। प्रार्थी की उक्त वर्णित स्वयं की खातेदारी की कृषि भुमि आराजी न0 81 मे आवागमन हेतु वाछिंत रास्ता पुर्णतः आवश्यक है तथा अन्य कोई रास्ता नही है, न ही वैकल्पिक रास्ता है। इस रास्ते के बिना अपनी कृषि भुमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। रास्ता प्रार्थी का स्वैधानिक अधिकार होकर हर व्यक्ति को उसकी सम्पति तक जाने हेतु उपलब्ध होना आवश्यक है। अन्यथा सम्पति के उपयोग से व्यक्ति वंचित हो जाता है। प्रार्थी के खेतो मे खेती करना बन्द हो गया है। विपक्षी ने प्रार्थी के खेतो मे आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी ने रास्ता चाहने धारा 251 ए आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते मे जाने वाली भुमि की राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता खुलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का अंकन करने का आदेश प्रदान कराये जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, साक्ष्य एवं पत्रावली मे सलग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी पुर्व से ही राजस्व ग्राम चेता पटवार हलका कामली मे अपनी खातेशुदा आराजी न0 81 मे जाने हेतु विपखी की कृषि भुमि ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ की आराजी न0 1/26 मे से आता जाता था। प्रार्थी की भुमि मे जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विपक्षी की भुमि के अलावा उपलब्ध नही है। रास्ता व्यक्ति का सवैधानिक अधिकार है। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की राजस्व ग्राम चेता आसन की आराजी न0 81 मे आने जाने हेतु राजस्व ग्राम देवगढ मे विपक्षी की आराजी स0 1/26 मे आने जाने हेतु 30 फिट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवगढ द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट मे मौके पर 340 फिट लम्बा व 30 फिट चौडा रास्ते हेतु कुल 10,200 वर्गफिट भुमि दर्शायी गयी है। जिसकी वर्तमान DLC दर 2,56,968/– रूपये प्रति बिघा के हिसाब से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की किमत 1,12,423/– रूपये की दोगुना राशि 2,24,846 रूप्ये बनती है। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार देवगढ को भुगतान होने पर रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अंकन किया जावे। रास्ता सार्वजनिक रहेगा। जिसका उपयोग हर आम व्यक्ति कर सकेगा। प्राथी रास्ते का उपयोग करने से किसी को ईन्कार नही कर सकेगा। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे। पत्रावली फेसलशुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ